राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, टोंक आगार

दूरभाष न0:- 01432-294313

e-mail - rsrtc.cmtnk@gmail.com

क्रमांकः-मु0प्र0 / टोंक / सामा. / 2025 / 2995 दिनांक 16/9/2025

निविदा -सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोंक आगार के केन्द्रिय बस स्टैण्ड पर होर्डिंग्स, पिल्लर बोर्ड, साईन बोर्ड, ग्लोसाईन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन हेतु लाईसेन्सी / ठेकेदार नियुक्ति हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 29.09.2025 से कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र राशि रूपये 236/-नकद जमा करवाकर फार्म प्राप्त कर अपने प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025 को 13.00 बजे तक जमा करा सकते है। निविदा प्रस्ताव उसी दिन समय 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं SPPP पोर्टल http: //sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार।

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, टोंक आगार।

क्रमांकः—मु0प्र0 / टोंक / लेखा / 2025 / 2993 दिनांक 16/9/25

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टोंक आगार के केन्द्रिय बस स्टैण्ड पर होर्डिग्स, पिल्लर बोड, साईन बोर्ड, ग्लोसाईन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन हेतु निम्नप्रकार तीन वर्ष के लिए लाईसेन्सी / ठेकेदार नियुक्ति हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क्र0स0	स्थल का नाम	होर्डिग्स	पिल्लर बोर्ड	साईन बोर्ड	ग्लोसाईन बोर्ड
	साईज	20'X10'	4'X3'	6'X2'	6'X2
1.	केन्द्रिय बस स्टैण्ड टोंक आगार (संख्या)	15	10	05	05

इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 29.09.2025 से मुख्य प्रबंधक कार्यालय टोंक में 200 + 36 रूपये (18 % प्रतिशत जीएसटी) राशि जमा कराकर निविदा फार्म प्राप्त कर अपने प्रस्ताव दिनांक 14.10.2025 को समय 13.00 बजे तक बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर निविदा में भाग ले सकते हैं । निविदा उसी दिन समय 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष आगारीय कमेटी द्वारा खोली जावेगी। उक्त निविदा को स्वीकार /निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार रहेगी।

1– निविदा धरोहर राशि 30000/–रूपये निविदा फार्म के साथ निगम कोष मे जमा करानी होगी। निविदा खुलने पर सफल निविदादाता द्वारा 05 दिवस के अन्दर–अन्दर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा फार्म के साथ जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

2– न्यूनतम लाईसेंस फीस 40000 + GST (चालीस हजार रूपये+ GST) प्रति माह आरक्षित दर होगी।

3– लाईसेंस अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जायेगा ।लाईसेंसधारी की प्रथम वार्षिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिवस पुर्व आगार स्तरीय कमेटी द्वारा उस लाईसेंसी के नवीनीकरण पर विचार कर आपसी सहमति पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर की बढोतरी कर लाईसेन्स अवधि को बढाया जा सकेगा। सफल निविदादाता को इस कार्यालस से जारी लाईसेन्स आदेश की दिनांक से अवधि की गणना की जावेगी।

4– निविदा स्वीकृत होने पर लाईसेन्सी को लाईसेन्स फीस का तीन गुना सुरक्षा राशि के रूप में नगद/ डी0डी0 के रूप में इस कार्यालय में जमा कराना होगा। सुरक्षा राशि एवं धरोहर राशि पर कोईब्याज देय नही होगा।

5– निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने के साथ पहचान पत्र की छाया प्रति एवं मोबाईल नम्बर देना होगा। यदि निविदा दाता फर्म अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहे तो निविदा खुलने पर 500रूपये के स्टाम्प (नोटेरी दस्तीक) पर ओथेरिटि लेटर मय प्रतिनिधी के फोटा के प्रमाणिकरण एवं पेन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

6– निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को 500 रू के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके पश्चात निगम की अनुमति से कार्य शुरू करना होगा तथा विज्ञापन में उपयोग में आने वाले सम्बधित सम्पूर्ण सामान/सामग्री निविदादाता स्वयं की होगी।

7. प्रत्येक माह की 7 तारीख तक लाइसेन्सी को लाईसेन्स फीस इस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिदिन 500 रूपये पैनल्टी राशि प्रथम माह के लिए एवं एक माह से अधिक समय होने पर इस कार्यालय में जमा सम्पूर्ण सुरक्षा राशि एवं सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर लाईसेन्स निरस्त कर दिया जावेगा।

8– निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के दोरान प्रचार प्रसार होर्डिग्स बेनर आदि पर निगम का पूर्ण नियंत्रण रहेगा।

9– निविदादाता/ फर्म अपनें लाईसेन्स को किसी दूसरे को हस्तान्तरित नही करेगा।

10–राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/न्यायालय/चुनाव आयोग या जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त आदेश अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण से उक्त बोर्ड हटवाने या उतरवाये जाते है तो इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिप्रर्ति नही दी जायेगी।

11–इस कार्यालय द्वारा राजकीय हित/निगम हित में उक्त अनुबन्ध 5 दिवस पूर्व नोटिस देकर समय पूर्व समाप्त कर सकता है। निविदादाता को इस हेतु अनुपातिक राशि लोटाई जावेंगी। इस सम्बन्ध में लाईसेन्सी कोई उज्रदारी नही कर सकेगा।

13. बिना किसी कारण के निविदा/लाईसेन्स को निरस्त करने का निम्नहस्ताक्षकर्ता को पूर्ण रूप से अधिकार होगा जो निविदादाता/लाईसेन्सी को मान्य होगा।

14–महिला अपशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की पालना अनिवार्य रूप से करना होगा।

15–निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी समस्त आदेशो /निर्देशो की शर्ते मान्य होगी।

16– निगम की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान लाईसेन्सी द्वारा नही पहुचाया जावेगा। नुकसान होने की स्थिति में लाईसेन्सी क्षतिपुर्ति राशि देने के लिए बाध्यकारी होगा।

17– विज्ञापन प्रदर्शन में बिजली की आवयकता होने पर राशि 5000 रूपये धरोहर राशि अलग से जमा कराकर लाईसेन्सी अपने स्वयं के खर्चे पर आईएसआई मार्का का बिजल सब मीटर बॉक्स सहित खरीद कर लगायेगा एवं बिजली मीटर बॉक्स राजस्व प्रभारी टोंक आगार द्वारा चिन्हित स्थान पर स्थापित करेगा तथा बिजली मीटर बॉक्स की चाबी राजस्व प्रभारी के पास रहेगी एवं लाईसेन्सी को बिजल उपभोग की राशि प्रतिमाह इस कार्यालय के राजस्व शाखा में जमा करानी होगी । किन्तु आगार की आवश्यकता के अतिरिक्त बिजली लोड उपलब्ध होने पर ही बिजली सप्लाई चालू किया जावेगा अन्यथा बिजली सप्लाई की व्यवस्था लाईसेन्सी को अपने स्तर से करनी होगी।

18–उक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना नही करने पर लाईसेन्स निरस्त कर कार्यालय में जमा सम्पूर्ण सुरक्षा एवं सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त किया जा सकेगा

19– निविदा/लाईसेन्स से सम्बधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रथम सुनवाई/अपीलीय अधिकारी श्रीमान कार्यकारी निदेशक (सम्पत्ति) मुख्यालय जयपुर एवं द्वितीय सुनवाई/अपीलीय अधिकारी श्रीमान कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर होगे जिनका निर्णय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

सफल निविदादाता/फर्म द्वारा निविदा प्रस्ताव खुलने के 05 दिवस में उपरोक्त सभी वर्णित शर्तों का 500 रूपये के स्टाम्प पर अंकित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक सत्यापन सहित अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत कराना होगा।

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार।

क्रमांकः–मु0प्र0/टोंक/लेखा/2025/ 2993 दिनांक 16/9/25

सूचनार्थ प्रतिलिपि–

1–श्रीमान महा प्रबन्धक (आईटी) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
2–श्रीमान कार्यकारी प्रबंधक (सूचना जन सर्म्पक) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
3–नोटिस बोर्ड आगार कार्यालय/कार्यशाला/सीबीएस टोंक आगार।
4–निविदा पत्रावली।

मुख्य प्रबंधक
टोंक आगार।